न्यायालय जिला निर्वाचन अधिकारी(जिला कलेक्टर)टोंक
(गौरव अग्रवाल, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 12–1–2021

1–रामअवतार पुत्र श्री फुलचन्द जैन निवासी वार्ड नं0 31 जवाहर नगर मालपुरा जिला टोक राज0
2–आचुकी देवी पत्नि श्री रामअवतार जैन निवासी वार्ड नं0 31 जवाहर नगर मालपुरा जिला टोक राज0
3–अंकित कुमार जेन पुत्र श्री रामअवतार जैन निवासी वार्ड नं0 31 जवाहर नगर मालपुरा जिला टोक राज0
4–नीलू पत्नि अंकित कुमार जेन निवासी वार्ड नं0 31 जवाहर नगर मालपुरा जिला टोक राज0
5–दीपक पुत्र श्री रामअवतार जैन निवासी वार्ड नं0 31 जवाहर नगर मालपुरा जिला टोक राज0

.........अपीलाण्ट्स

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मालपुरा जिला टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मालपुरा

उपस्थितिः– 1– अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनाक 14.01.2021**

अपील का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नगरपालिका मालपुरा के वार्ड संख्या–31 की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए प्ररूप–3 में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को रेस्पोडेन्ट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिसे निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्ट से अपील पर बिन्दुवार टिप्पणी / जवाब मय संबंधित रिकार्ड के तलब किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अपीलासन्ट्स ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हम सभी वार्ड नम्बर 22 नया, वार्ड नम्बर 31 के मूल निवासी है। हमारे मकान भी इसी वार्ड में स्थित है तथा आधा[illegible] नगर पालिका के अदय प्रमाण पत्र दिनांक 10.01.2021 सभी मूल दस्तावे[illegible]र्ड के बने हुऐ है प्रार्थी इसी वार्ड में निवास करते हैं। हमने [illegible]ला से बीएल

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:09:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

ओ साहब को प्रार्थना पत्र पेश किया तो कडीला से नाम काट कर मालपुरा में जोडने का आवेदन कर दिया था पटवारी से रिपोर्ट करवा कर 03.01.2021 को मालपुरा बीएल ओ को जोडने के लिए आवेदन किया था। किन्तु राजनैतिक द्वेषता कारण नाम नहीं जोडा गया आज पत्रावली प्राप्त की तब पता चला कि नाम नहीं जुड पाया एसडी. ओ. मालपुरा के पास गये तो उन्होंने कहां कि अब नहीं जुडेगा। अतः अपील स्वीकार कर अपीलान्ट्स का नाम मालपुरा के वार्ड संख्या–31 की निर्वाचक नामावली में हुड़वाने के आदेश प्रदान करें।

हमने अपीलाण्ट्स की बहस पर मनन किया एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा के जवाब तथा संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने मालपुरा के वार्ड संख्या–31 की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए प्ररूप–3 में प्रस्तुत किये गये। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के निर्देश हैं कि यदि आवेदक की शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र दोनों में भूमि या भवन आदि है तो सामान्यतः निवास विषयक विधिक बाध्यता के परीक्षण में इस तथ्य पर गहन विचार किया जावे कि क्या आवेदक द्वारा दूसरे स्थान से सम्बन्धित किसी सस्था(पंचायतीराज/नगरीय निकाय के)हाल ही में समपन्न हुए चुनाव में नाम निर्देशन पत्र तो प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा आवेदक का नाम अन्य संस्था/क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पूर्व से ही दर्ज तो नहीं है। समूचित जॉच परीक्षण के उपरान्त केवल उन्ही आवेदनों को स्वीकार कर नाम जोड़े जावे जो विधिक प्रावधानों के अनुसार सामान्यत निवास विषयक प्रावधान के अनुसार योग्य है गहन जॉच का अभिन्न अंग है दूसरे पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देना। उपखण्ड अधिकरी के निर्णय में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट्स के नाम ग्राम पंचायत कडीला के वार्ड नं0 3 की नामावली में अंकित है, निर्णय किस दिनांक को पारित किया गया यह भी अंकित नहीं किया गया। जबकि अपीलान्ट्स का कथन है कि हमे सुनवाई का तथा सबूत दस्तावेज पेश करना का अवसर नहीं दिया गया है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित(रिमाण्ड) की जाती है कि प्रकरण में अविलम्ब अपीलान्ट्स के प्रतिवेदन की जॉच किसी तहसीलदार स्तर के अधिकारी से करवाकर व अपीलान्ट्स को सुना जाकर तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर पुनःनिर्णय पारित करे।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:09:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner